अध्याय 6

केंद्रीय विक्रय कर

1956 का 74

153. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है), धारा 6 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 6 का संशोधन।

"(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि—

(क) (i) भारत में किसी विदेशी राजनयिक मिशन या वाणिज्यिक दूतावास; या

(ii) संयुक्त राष्ट्र या उसी प्रकार का कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय निकाय का कोई पदधारी या कार्मिक जो ऐसे किसी कन्वेंशन के अधीन, जिसमें भारत एक पक्षकार है, ऐसे विशेषाधिकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन का हकदार है; या

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मिशन, संयुक्त राष्ट्र या अन्य निकाय का कोई कौन्सलीय या राजनयिक अभिकर्ता,

स्वयं के लिए या ऐसे मिशन, संयुक्त राष्ट्र या अन्य निकाय के प्रयोजनों के लिए, किसी माल का क्रय करता है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल के विक्रय पर संदेय कर से छूट दे सकेगी ।"।

154. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों से आरंभ होने वाले और "इनमें से जो भी कम हो" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 8 का संशोधन।

" इस अधिनियम के अधीन, उस तारीख से, जो इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, ऐसे कर का, जो, यथास्थिति, उसके आवर्त के दो प्रतिशत या समुचित राज्य के भीतर उस राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन या मूल्यवर्धित कर अधिरोपित करने वाले उस राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन, ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर से इनमें से जो भी कम हो, होगा, संदाय करने का दायी होगा :

परंतु किसी व्यवहारी द्वारा इस धारा के अधीन संदेय कर की दर उसके आवर्त का चार प्रतिशत तब तक बनी रहेगी जब तक दो प्रतिशत की दर इस उपधारा के अधीन प्रभावी नहीं होती ।" ।

155. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 20 में,— धारा 20 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "धारा 9 के अधीन" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 9 के अधीन, जो अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्या के अनुक्रम में माल के विक्रय के संबंध में किसी विवाद से संबंधित है" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, " इस अधिनियम की धारा 6क या धारा 9 के अधीन" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "न्यायनिर्णयन करेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"किसी व्यवहारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील का न्यायनिर्णयन करेगा, जो उस तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर फाइल की गई हो जिसको उस उपधारा में निर्दिष्ट आदेश की उस पर तामील की जाती है :

परंतु यह कि प्राधिकारी, उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात्, किंतु ऐसी तामील की तारीख से साठ दिन के अपश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित किया गया है ।" ;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

156. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 21 में,— धारा 21 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, " संबंधित निर्धारण प्राधिकारी" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और " वापस किए जाएंगे" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

" संबंधित निर्धारण प्राधिकारी और साथ ही अपील से संबंधित प्रत्येक राज्य सरकार को भिजवाएगा और उनसे सुसंगत अभिलेख भेजने के लिए कहेगा :

परंतु ऐसे अभिलेख, यथासंभवशीघ्र, यथास्थिति, संबंधित निर्धारण प्राधिकारी या ऐसी राज्य सरकार को वापस किए जाएंगे ।";

(ख) उपधारा (3) में, पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु किसी अपील को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से या किसी सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से और संबंधित राज्य सरकार को भी सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।" ।

धारा 23 का संशोधन।

157. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 23 में, "सभी विषयों में" शब्दों के स्थान पर, "सभी विषयों में, जिसमें किसी मांग की वसूली की रोक सम्मिलित है" शब्द रखे जाएंगे ।